

भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय)

और

अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

(यह समझौता ज्ञापन 19.01.2021 के रियायत समझौते का एक

अभिन्न हिस्सा और अंग है)

अनुसूची आर

समझौता ज्ञापन

(देखें खंड 4.1.2 (d) (ii) और खंड 4.1.3 (i))

यह समझौता ज्ञापन ("एमओयू") 25 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में किया गया है;

द्वारा और के बीच:

भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसके बाद "भारत सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल समझे जाएंगे); और

अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U63033GJ2019PLC110077 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'अडाणी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एसजी हाईवे, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत' में स्थित है (जिन्हें आगे "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और स्थानापन्न शामिल होंगे)।

जबकि:

क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में हवाईअड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक 19.01.2021 का एक रियायत समझौता ("रियायत समझौता") किया है।

ख. भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों के अनुसार और नीचे दिए गए अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर सहायता और कुछ अधिकारों का प्रदान किया जाना आवश्यक है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों जुटाने हेतु एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।

ग. सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए और रियायतग्राही को जैसा कि यहाँ कहा गया है कुछ सहायता प्रदान करने हेतु सहमत होने के लिए,

अब एतद्वारा निम्नानुसार समझौता बनी है:

परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौता ज्ञापन में, उस सीमा को छोड़कर जहाँ संदर्भ में अन्यथा आवश्यक हो, और जब तक कि नीचे या इस समझौता ज्ञापन में विशेष रूप से कहीं और अन्यथा परिभाषित न

किया गया हो, यहाँ प्रयुक्त अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (और यहाँ परिभाषित नहीं) लेकिन रियायत समझौते के तहत परिभाषित, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिया गया है:

"पशु संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 1 में यथा निर्धारित संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

"पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"लागू अनुमतियां" से तात्पर्य इस समझौता ज्ञापन के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त की जाने वाली और/या उसके बाद बनाए रखी जाने वाली सभी मंजूरीयों, लाइसेंसें, परमिटों, प्राधिकारों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों, सहमतियों, अनुमोदनों और छूटों से होगा;

"मध्यस्थ अधिकरण" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 6.3.3 में इस शब्द को दिया गया है;

"प्राधिकरण" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना क में दिया गया है;

"प्राधिकरण प्रतिनिधि" से तात्पर्य प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"रियायत समझौता" का वही अर्थ है जो ऊपर प्रस्तावना क में दिया गया है;

"रियायतग्राही" का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में इस शब्द को दिया गया है या कोई अन्य पक्षकार जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;

"रियायतग्राही प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर मनोनीत कम से कम निदेशक पद धारक प्रतिनिधि(यों) से होगा;

"सीमा शुल्क नियंत्रण" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 3 में यथा निर्धारित सीमा शुल्क संबंधी सेवाओं से होगा;

"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"डीजीसीए" से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी प्रतिस्थानी से होगा;

"प्रभावी तिथि" से तात्पर्य इसमें अंतिम पक्षकार द्वारा इस समझौता ज्ञापनपर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा और ऐसी तिथि रियायत समझौते में प्रदान किए गए वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से बाद की नहीं होगी;

"भारत सरकार" का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में इस शब्द को दिया गया है;

"भारत सरकार सहायता" का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन के खंड 2 में इस शब्द को दिया गया है;

"स्वास्थ्य सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 4 में यथा निर्धारित अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

"स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"इमिग्रेशन सेवाएं" से तात्पर्य लागू कानून के अनुसार इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 5 में यथा निर्धारित इमिग्रेशन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

"इमिग्रेशन सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत इमिग्रेशन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"संयुक्त समन्वय समिति" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 3.1.1 में इस शब्द को दिया गया है;

"मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 6 में यथा निर्धारित मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

"मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"एमओसीए" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 2.6 में इस शब्द को दिया गया है;

"एमओयू" या "यह एमओयू" से तात्पर्य इस समझौता ज्ञापन से होगा;

"पादप संगरोध सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 7 में यथा निर्धारित संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

"पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

"परियोजना" का वही अर्थ है जो रियायत समझौते में इस शब्द को दिया गया है;

"आरक्षित सेवाएं" का वही अर्थ है जो खंड 2.3 में इस शब्द को दिया गया है;

"सुरक्षा सेवाएं" से तात्पर्य इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 8 में यथा निर्धारित सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा;

"सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि" से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मनोनीत सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

धारा 1.2

व्याख्या के नियम

1.2.1: बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) से शुरू होने वाले परिभाषित शब्दों का अर्थ इस समझौता ज्ञापन से लिया जाएगा। यहाँ प्रयुक्त कोई भी शब्द जो यहाँ परिभाषित नहीं है, लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित है, वही अर्थ रखेगा जो उस समझौते में है (जब तक कि संदर्भ अन्यथा संकेत न दे)।

1.2.2 "खंडों" के सभी संदर्भ सीधे इस समझौता ज्ञापन के भीतर के खंडों से संबंधित हैं, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में व्याख्या को नियंत्रित करने वाले नियम इस समझौता ज्ञापन पर सीधे (यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित) लागू होते हैं।

धारा 2 भारत सरकार द्वारा सहायता

सामान्य उपक्रम: प्रभावी तिथि से प्रभावी होकर, भारत सरकार (भारत सरकार) परियोजना के लिए विशिष्ट सहायता प्रदान करने का उपक्रम करती है, जिसे "भारत सरकार सहायता" कहा जाता है।

धारा 2.1 लागू अनुमतियां

2.1.1: रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, और बशर्ते रियायतग्राही लागू कानूनों का पालन करता हो, भारत सरकार किसी भी लागू वैधानिक अवधि के भीतर आवश्यक लागू अनुमतियां देने का प्रयास करेगी।

जहाँ कोई निश्चित वैधानिक अवधि मौजूद नहीं है, भारत सरकार लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर अनुमतियां जारी करने के लिए उचित प्रयास करेगी, बशर्ते रियायतग्राही सभी पूर्व-आवश्यक मानदंडों को पूरा करता हो।

2.1.2: रियायतग्राही अनुमति जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए लगन से और समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत होता है।

- (क) संबंधित अधिकारियों के समक्ष ऐसे आवेदन तैयार करना और दाखिल करना, जो लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में हों;
- (ख) संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्वोक्त आवेदनों का अनुवर्ती (फॉलो-अप) कार्रवाई करना; और
- (ग) अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से उत्तर देना।

2.2 शुल्क के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

2.2.1 भारत सरकार ने 15 जून, 2016 के राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से भारत के सभी हवाईअड्डों के लिए वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) साझा ढांचे ("साझा-तिल अनुमोदन") को मंजूरी दी है, और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क/वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए ऐरा (AERA) द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा।

2.2.2 वैमानिकी शुल्कों को साझा-तिल अनुमोदन, रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा।

2.2.3 हवाईअड्डे के भीतर सीमा शुल्क, इमिग्रेशन, पादप संगरोध सेवाएं, पशु संगरोध सेवाएं, मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवाएं जैसी संप्रभु सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी एजेंसी को दिए गए किसी भी भुगतान को वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

2.2.4 अन्यथा कहीं भी इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही ऐरा (AERA) द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर, हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं से रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार सीओडी की तिथि से वैमानिकी शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा।

2.3 आरक्षित सेवाएं

2.3.1 भारत सरकार, पूरी अवधि के दौरान, हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी, या प्रदान करवाएगी:

- (क) सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) इमिग्रेशन सेवाएं;

- (ग) पादप संगरोध सेवाएं;
- (घ) पशु संगरोध सेवाएं;
- (ङ) स्वास्थ्य सेवाएं;
- (च) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं; और
- (छ) सुरक्षा सेवाएं।

2.3.2 रियायतग्राही हर समय नामित भारत सरकार की एजेंसियों को (क) हवाईअड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं, और (ख) स्थान की आवश्यकताएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उनमें से किसी या सभी द्वारा हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

2.3.3 रियायतग्राही उस नामित भारत सरकार की एजेंसी की समझौता के बिना हवाईअड्डे पर किसी भी नामित भारत सरकार की एजेंसी को दिए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

2.3.4 हवाईअड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में, जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने या अन्यथा के उद्देश्यों के लिए किसी भी नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्गठन शामिल है, रियायतग्राही विधिवत नामित भारत सरकार की एजेंसी को सूचित करेगा और रियायतग्राही और वह नामित भारत सरकार की एजेंसी उस नामित भारत सरकार की एजेंसी की स्थान आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे, जो हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

2.3.5 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नामित भारत सरकार की एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को प्राप्त करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और इसके तहत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नामित भारत सरकार की एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को प्राप्त करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.5 द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से सीमित किए बिना, भारत सरकार, हवाईअड्डे पर अनुसूचित एयरलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए उड़ान अधिकारों और सीट पात्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के अनुरोधों को स्वीकार करेगी और उनकी समीक्षा करेगी। भारत सरकार/नामित भारत सरकार का प्राधिकरण हवाईअड्डे पर अनुसूचित सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइंस के अनुरोधों के आधार पर ऐसे देशों के साथ सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों में प्रवेश करने, संशोधन करने या नवीनीकृत करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार हवाईअड्डे के संबंध में द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में कोई अपवर्जन नहीं करेगी। अंतरराष्ट्रीय वाहकों को हवाईअड्डे पर परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, हवाईअड्डे पर उनकी अतिरिक्त आवृत्ति को द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार हवाईअड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक(कों) द्वारा इसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता के कारण, या ऐसे हवाई सेवा समझौते के किसी अन्य पक्षकार द्वारा उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

2.6 सीमा शुल्क, इमिग्रेशन और संगरोध

भारत सरकार हवाईअड्डे पर अपने खर्चे पर, सीमा शुल्क, इमिग्रेशन और संगरोध प्रक्रियाओं को इस तरह से स्थापित या बनाए रखेगी (जैसा कि लागू हो), कि ऐसी किसी भी या सभी सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न किसी कारण से रियायतग्राही के मुख्य प्रदर्शन संकेतक प्रभावित न हों। पक्षकारों का इरादा इस समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं और संगरोध सेवाओं के संबंध में उपयुक्त सेवा स्तर मानकों पर सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ("एमओसीए") तदनुसार सहायता करने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करेगा जब और जैसे ही रियायतग्राही द्वारा इस संबंध में अनुरोध किया जाए।

2.7 सुरक्षा

- 2.7.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस समझौता ज्ञापन के तहत अन्यथा समझौता न हो, वह नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। शर्त यह है कि, भारत सरकार और रियायतग्राही, आपसी चर्चा के बाद और यदि लागू कानूनों के अनुसार अनुमति दी जाती है और यदि इसे उपयुक्त माना जाता है, हवाईअड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री पर सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे शुल्क के अनुरूप होगा और ऐसा शुल्क सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

- 2.7.2 इस समझौता ज्ञापन के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करेगा। शर्त यह है कि रियायतग्राही इस प्रकार बाध्य नहीं होगा यदि ऐसे नियम और विनियम समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर सामान्य रूप से और लगातार लागू नहीं होते हैं।
- 2.7.3 रियायतग्राही हवाईअड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित हवाईअड्डे पर ऐसी सभी सुरक्षा अवसंरचना प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, शर्त यह है कि समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समान दायित्व लगाए जाएं।
- 2.7.4 हवाईअड्डा भवन, यात्रियों, हवाईअड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाईअड्डे के अन्य आगंतुकों और हवाईअड्डे पर क्षेत्र, माल भाड़ा और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुसार होंगी। रियायतग्राही बीसीएस (BCAS) और किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, शर्त यह है कि ऐसी प्रक्रियाएं और निर्देश समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर लगातार लागू होते हों।
- 2.7.5 रियायतग्राही हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

2.8 मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं

- 2.8.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के लिए मौसम विज्ञान सेवा पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार हवाईअड्डे पर मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करवाएगी।
- 2.8.2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या किसी अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए गए कार्य और इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की गई पहुंच और स्थान अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.8 गैर-भेदभाव

समय-समय पर लागू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाई यातायात के उन वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी जिन्हें हवाईअड्डे का उपयोग करने की अनुमति है और उचित नियमों के

अधीन, हवाईअड्डे पर विमान की आवाजाही पर कोई अनुचित सीमा न लगाने या अन्यथा हवाईअड्डे पर क्षमता को प्रतिबंधित न करने का प्रयास करेगी।

संयुक्त समन्वय समिति

3.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन

3.1.1 आरक्षित सेवाओं का सुचारू और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्राधिकरण प्रतिनिधि;
- (ख) नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधि;
- (ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (घ) इमिग्रेशन सेवाएं प्रतिनिधि;
- (ङ) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि;
- (च) सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि;
- (छ) पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;
- (ज) पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;
- (झ) स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि; और
- (ञ) रियायतग्राही का प्रतिनिधि।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, इस समिति का गठन करेगी और बैठकों की अध्यक्षता करेगी, जिसका जनादेश आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को हल करना होगा।

3.2 बैठकें और सहायता

3.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता सचिव, नागर विमानन मंत्रालय करेंगे, और जब तक कि पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए अन्यथा समझौता न हो, प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर पहली बार शुरू होकर, हवाईअड्डे पर हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

3.2.2 भारत सरकार एतद्वारा हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत प्रासंगिक एजेंसियों, अधिकारियों,

विभागों, निरीक्षक कार्यालयों, मंत्रालयों के साथ तालमेल बिठाने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

अवधि और समाप्ति

4.1 अवधि

4.1.1 यह समझौता ज्ञापन प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

4.1.2 यह समझौता ज्ञापन रियायत समझौते के निर्धारण और/या समय से पहले समाप्ति के साथ, किसी भी कारण से, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा ("अवधि")।

4.2 समाप्ति

4.2.1 यह समझौता ज्ञापन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा यदि रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार सीओडी प्राप्त नहीं किया जाता है।

4.2.2 इस समझौता ज्ञापन के अनुसार रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुद्देशित या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को स्थानांतरित हो जाएंगे, और उनके लाभ के लिए होंगे, जो किसी भी समय हवाईअड्डे का संचालन कर सकते हैं।

प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्वारा भारत सरकार को प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि रियायत समझौते के तहत इसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटी इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के लिए यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित सत्य और सही होंगे, जिसमें उसमें निहित रूप और तरीके शामिल हैं, लेकिन इसमें इसकी शक्ति और अधिकार और इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन और वितरण के लिए आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां सीमित नहीं हैं।

5.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही को प्रतिनिधित्व और वारंटी देती है कि उसके पास इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित करने का अधिकार, शक्ति और अधिकार है और उसने सभी आवश्यक कार्रवाइयां की हैं, और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार है।

शासी कानून और विवाद समाधान

6.1 शासी कानून

यह समझौता ज्ञापन (इस खंड 6 सहित) और इसके अर्थ के सभी प्रश्नों की व्याख्या भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

6.2 क्षेत्राधिकार

नीचे दिए गए खंड 6.3 के प्रावधानों के अधीन, नई दिल्ली की अदालतों के पास इस समझौता ज्ञापनसे उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

6.3 विवाद समाधान

6.3.1 पक्षकार सहमत हैं कि वे सद्भाव परामर्श के माध्यम से, इस समझौता ज्ञापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। शर्त यह है कि यदि ऐसे सद्भाव परामर्शों के परिणामस्वरूप ऐसे परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ है, तो खंड 6.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

6.3.2 ऐरा (AERA) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान (जैसा कि ऊपर खंड 6.3.1 के तहत प्रदान किया गया है) के माध्यम से हल नहीं किया जा सका, उसे समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से हल किया जाएगा।

6.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों वाले एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (मिलकर "मध्यस्थ अधिकरण" बनाएंगे)। मध्यस्थता की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

6.3.4 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षकारों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

6.3.5 मध्यस्थ अधिकरण का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

विविध

7.1 सूचना

7.1.1 इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमति प्राप्त या लागू कानूनों द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक अन्यथा समझौता न हो) लिखित रूप में होगी और व्यक्तिगत रूप से वितरित की जाएगी, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा भेजी जाएगी जैसा कि उपयुक्त हो, उचित रूप से लिफाफे में ठीक से पता लिखकर और पूरा भुगतान करके भेजी जाएगी या संबंधित पक्षकारों को फैक्स द्वारा निम्नानुसार भेजी जाएगी:

भारत सरकार: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार/ या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित व्यक्ति

ई-मेल: secy.moca@nic.in

फैक्स नं.: 011-24602397

प्राधिकरण

पता: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110003

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

ई-मेल: chairman@aai.aero

फैक्स नंबर: 011-24641088

रियायतग्राही:

पता: जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, सांगानेर, जयपुर, 302029, राजस्थान, भारत

ध्यान दें: मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी, अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

ई-मेल: cao.jaipurairport@adani.com

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि समय-समय पर इसके तहत सूचना द्वारा नामित किया जा सकता है।

7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और उस समय दी गई मानी जाएगी जब वास्तव में वितरित की गई हो, यदि हाथ से वितरित की गई हो, या फैक्स द्वारा भेजने के बाद अगले कार्य दिवस पर या किसी अन्य स्थिति में इसके पहले प्रदान किए गए तरीके से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर मानी जाएगी।

7.2 पृथक्करणीयता

इस घटना में कि इस समझौता ज्ञापन में निहित कोई भी, या शर्तों, स्थिति या प्रावधानों का कोई भी हिस्सा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसी शर्तें, स्थिति या प्रावधान उस सीमा तक शेष शर्तों, स्थिति और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमति की पूरी सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण समझौता

यह एमओयू, इसके सभी अनुलग्नकों के साथ, इस समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी पूर्व समझौते या समझ, लिखित या मौखिक, जो पक्षकारों के बीच रही हो सकती है, को प्रतिस्थापित करता है।

7.4 संशोधन

इस समझौता ज्ञापन का कोई भी जोड़, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 समनुदेशन

इसके प्रभावी होने की तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद, जो अन्यथा इस समझौता ज्ञापन के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्षकार इस समझौता ज्ञापन या इसके तहत या इसके अनुसार उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित को समनुदेशित नहीं कर सकता है। हालांकि, शर्त यह है कि पूर्वगामी के बावजूद, भारत सरकार एतद्वारा स्थानापन्न समझौते की शर्तों के अनुसार चुने गए किसी स्थानापन्न संस्था या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य संस्था के पक्ष में इस समझौता ज्ञापन को स्थानांतरित करने और नवीनीकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत होती है।

7.6 कोई छूट नहीं

भारत सरकार या प्राधिकरण की ओर से इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में कोई विफलता, और उनके द्वारा प्रयोग करने में कोई देरी, उसके त्याग के रूप में कार्य नहीं करेगी, न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई भी एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग को रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस समझौता ज्ञापन में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपाय संचयी हैं और किसी भी अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपायों (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा) के अनन्य नहीं हैं।

अनुलग्नक 1

पशु संगरोध सेवाएं

क. आगमन से पहले

सुविधा की तैयारी: पशु आयात आवेदन प्राप्त होने पर, सभी होल्डिंग शेड और चारा भंडारण कक्षों की पूरी तरह से सफाई, कीटाणुशोधन और धूमन (फ्यूमिगेशन) किया जाता है।

परिवहन नियम: पशुओं को उपयुक्त वाहकों में ले जाया जाना चाहिए जो प्रजाति-विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों।

कीटाणुशोधन: परिवहन वाहनों/वाहकों को निर्धारित आगमन से 24 घंटे पहले सैनिटाइज किया जाना चाहिए।

नमूना लेने की तत्परता: किसी भी आवश्यक जैविक नमूनों को एकत्र करने के लिए पहले से ही तैयारियां की जाती हैं।

ख. प्रवेश बिंदु पर आगमन पर

आधिकारिक उपस्थिति: क्षेत्रीय या संगरोध अधिकारी और आवश्यक कर्मचारी पूर्व-सहमति वाले समय पर हवाईअड्डे पर रिपोर्ट करते हैं।

भौतिक निरीक्षण: अधिकारी सभी आयातित पशुओं या पशुधन उत्पादों का भौतिक परीक्षण करते हैं।

दस्तावेज़ सत्यापन: स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए साथ में लाए गए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है।

प्रारंभिक निकासी: यदि पशु स्वस्थ हैं और दस्तावेज पूरे हैं, तो सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्रसंस्करण के लिए एक अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाण पत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आयात) प्रदान किया जाता है।

स्टेशन पर स्थानांतरण: जीवित पशुओं को आधिकारिक देखरेख में सीधे संगरोध सुविधा में ले जाया जाता है।

संगरोध अवधि: संगरोध में 30 दिनों के लिए, या भारत सरकार के विशिष्ट स्वास्थ्य प्रोटोकॉल द्वारा अनिवार्य अवधि के लिए पशुओं की निगरानी की जाती है।

उत्पाद परीक्षण: पशुधन उत्पादों के लिए, प्रतिनिधि नमूने एकत्र किए जाते हैं और स्वच्छता आयात परमिट द्वारा निर्दिष्ट अनुसार नामित प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं।

अनुलग्नक 2

[उपयोग नहीं किया गया]

अनुलग्नक 3

सीमा शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकट्रांस चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) ग्रीन / रेड चैनल में सामान परीक्षण काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ग) बैगेज हॉल में बैगेज सहायक / डिप्टी की सेवाओं का प्रावधान;

- (घ) रोके गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ङ) संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्तालय;
- (च) गलत तरीके से संभाले गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (छ) कीमती वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ज) शिपमेंट सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (झ) जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ञ) निकास द्वार के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती;
- (ट) निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना;
- (ठ) सीमा शुल्क के कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवाएं;
- (ड) एयर इंटेलिजेंस यूनिट।

अनुलग्नक 4

स्वास्थ्य सेवाएं

- (क) पक्षकार एतद्वारा यह दर्ज करते हैं कि डीजीएचएस (DGHS) का इरादा हवाई अड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास करना है ("स्वास्थ्य सेवाएं") :
 - (i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, कर्मचारियों और भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अन्य कर्मियों के लाभ के लिए दिन में हर समय हवाई अड्डा टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा सुविधाएं;
 - (ii) चिकित्सा अधिकारी और अन्य डीजीएचएस (DGHS) कर्मी हवाई अड्डा टर्मिनल पर स्थित होंगे, जैसा कि डीजीएचएस (DGHS) द्वारा समय-समय पर तय किया जाए;

- (iii) डीजीएचएस (DGHS) समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाईअड्डे में/के आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा;
- (iv) डीजीएचएस (DGHS) हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए।
- (ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डीजीएचएस (DGHS) ऊपर खंड (क) (i) में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी देनदारी से एतद्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है। रियायतग्राही एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऊपर खंड (क) (i) में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के गैर-प्रावधान या आंशिक प्रावधान के लिए उसके पास डीजीएचएस (DGHS) या किसी अन्य सरकारी निकाय के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुलग्नक 5

इमिग्रेशन सेवाएं

हवाईअड्डे पर इमिग्रेशन सुविधा और सेवा प्रदान करना और लागू कानूनों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुलग्नक 6

मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं:

विमानन मौसम सेवाएं: सुरक्षित उड़ान संचालन का समर्थन करने के लिए आवश्यक मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान का प्रावधान शामिल है।

अनुपालन मानक: आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के तहत स्थापित अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप है।

नियामक एवं परिचालन संरेखण: भारत सरकार की नामित एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुशंसित प्रथाओं के साथ-साथ विमान सुरक्षा पर केंद्रित स्थापित हवाई नेविगेशन सम्मेलनों के अनुरूप है।

अनुलग्नक 7

पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं

अवलोकन और कानूनी ढांचा

शासी नियम: परिचालन कर्तव्य विनाशकारी कीट और जीव-जंतु अधिनियम, 1914 के साथ-साथ पादप संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003 (और इसके अपडेट) के अंतर्गत आते हैं।

प्राथमिक उद्देश्य: गैर-देशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम करके घरेलू कृषि की रक्षा करना।

अंतरराष्ट्रीय समझौता संरक्षण: प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन (IPPC) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) समझौते द्वारा स्थापित मानकों का पालन करती हैं।

प्रमुख जिम्मेदारियां और संचालन

आयात सत्यापन और सुरक्षा: आक्रामक कीटों और रोगजनकों को रोकने के लिए कृषि आयातों का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और अनुमोदन करना।

निर्यात निरीक्षण: बाहर जाने वाले कृषि सामानों का दृश्य रूप से परीक्षण और प्रसंस्करण करना।

प्रमाणन: बाहर जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र (फ़ाइटो-सैनिटरी सर्टिफिकेट) प्रदान करना।

पैकेजिंग प्रबंधन: आयातित लकड़ी की पैकिंग सामग्री की जाँच और उपचार करना।

प्रवेश-पश्चात निगरानी: आने वाली वस्तुओं पर प्रवेश-पश्चात संगरोध जाँच करना।

स्वच्छता सेवाएं: कृषि वस्तुओं पर धूमन (फ़्यूमिगेशन), कीट-निवारण (डिस्इन्फेस्टेशन) और कीटाणुशोधन (डिस्इन्फेक्शन) के उपायों को निष्पादित करना।

अनुलग्नक 8

सुरक्षा सेवाएं

मुख्य प्रावधान

विमानन सुरक्षा कार्यान्वयन: आईसीएओ (ICAO) शिकागो कन्वेंशन अनुलग्नक 17 के अनुरूप नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा की तैनाती, जो हवाई अड्डा ऑपरेटरों, एयरलाइंस और एवीएसईसी (AVSEC) कर्मियों का समर्थन करती है।

कर्मचारी योग्यता: यह गारंटी देना कि सुरक्षा नियंत्रण करने वाले एजेंसी के कर्मियों के पास उचित प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यताएं हों।

परिचालन योजना: विमानन सुरक्षा रणनीतियों और कार्यों का निर्देशन और समन्वय करना।

प्रदर्शन और आपातकालीन परीक्षण: कर्मचारियों की सतर्कता का मूल्यांकन करने के लिए अघोषित निरीक्षण या डमी जांच करना, साथ ही आकस्मिक तैयारी और बहु-एजेंसी समन्वय का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करना।

निष्पादन और हस्ताक्षर

निष्पादन की तिथि:

हस्ताक्षरकर्ता: